[2020] 11 एससीआर 170

गोपाल प्रसाद

बनाम

बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड और अन्य

(2012 की सिविल अपील संख्या 8225)

28 मई 2020

[**इंदिरा बनर्जी और अजय रस्तोगी, जेजे**.]

बिहार सेवा संहिता, 1952 नियम 73 - बिहार पेंशन नियम, 1950 - अधिवर्षिता - अपीलकर्ता बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड का कर्मचारी था - सेवा में प्रवेश के समय, उसकी आयु 15 वर्ष, 6 महीने थी - उस समय, सेवानिवृति की आयु 58 वर्ष थी जिसे 30.03.2005 को बोर्ड की बैठक द्वारा 60 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था - पेंशन नियमों के तहत, 1950 के अनुसार, पेंशन के लिए अर्हक सेवा की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है - बिहार सेवा संहिता, 1952 के तहत सेवा में प्रवेश करने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है - बोर्ड ने 15.01.2004 को आयोजित अपनी बैठक में निर्णय लिया कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले सेवा में प्रवेश करने वालों के मामले में, उनकी नियुक्ति की तारीख को उनकी आयु 18 वर्ष है, श्रेणी 4 के मामले में 60 वर्ष और श्रेणी 3 के मामले में 58 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सेवानिवृत्त किया जाएगा - इसके दिनांक 15.01.2004 के संकल्प को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता को सूचित किया गया था कि उसने 42 साल की योग्यता सेवा पूरी कर ली है जो एक कर्मचारी प्रदान कर सकता है और वह

*42 साल की योग्यता सेवा पूरी करने के बाद सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है - क्या किसी व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले केवल इसलिए सेवानिवृत्त किया जा सकता है क्योंकि उसने 42 साल की योग्यता सेवा पूरी कर ली है - **आयोजित: प्रति अजय रस्तोगी, जे** - नियमों की योजना से,यह स्पष्ट करें कि सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित है । बिहार सेवा संहिता, 1952 के नियम 73 के तहत निर्धारित है । सेवानिवृत्ति के उद्देश्य के लिए लागू होगी और पेंशन नियम, 1950 को ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति को सेवा में 42 वर्ष की आयु पूरी करने से आगे नहीं रखा जा सकता है - यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि सरकार- क्या किसी व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले केवल इसलिए सेवानिवृत्त किया जा सकता है क्योंकि उसने 42 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है -**प्रति इंदिरा बनर्जी, जे** के अनुसार - एक व्यक्ति को केवल सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त किया जा सकता है जब तक कि नियम स्पष्ट रूप से सेवा की लंबाई को सेवानिवृत्ति के लिए एक मानदंड नहीं बनाते हैं - बिहार सेवा संहिता के नियम 73 में कोई भी निर्धारित नहीं किया गया है सेवानिवृत्ति के मानदंड के रूप में सेवा की लंबाई - अपीलकर्ता को [2020] से पहले सेवानिवृत्त करने का निर्णय उसने सेवा रिकॉर्ड में दर्ज अपनी जन्म तिथि के अनुसार 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, इसलिए उसे बनाए नहीं रखा जा सकता है - राय के अंतर को देखते हुए बड़ी पीठ को भेजा गया मामला - सेवा कानून - अनुबंध अधिनियम, 1872 - धारा 11 - बहुमत अधिनियम, 1875 - धारा 3.*

मतभेद को देखते हुए मामले को बड़ी बेंच के पास भेजते हुए, राय के अंतर को देखते हुए, न्यायालय ने

आयोजित किया:

प्रति अजय रस्तोगी, जे।

1. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि कर्मचारियों की सेवा शर्तें सामान्यत सांविधिक

[1] (2006) 1 पी एल जे आर 410

नियमों द्वारा या इसकी अनुपस्थिति में विनियमों या प्रशासनिक निर्णयों के अंतर्गत शासित होती हैं जिनमें बाध्यकारी बल होता है लेकिन केवल वयस्कता की आयु प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही सेवा की वैध संविदा करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम होता है। भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 11 परिभाषित करती है कि कौन संविदा के लिए सक्षम है और स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि सेवा के वैध अनुबंध में प्रवेश करने के लिए किसी को बहुमत अधिनियम, 1875 के अनुसार वयस्कता की आयु प्राप्त करनी होगी और वयस्कता की आयु क्या हो सकती है, इसे बहुमत अधिनियम की धारा 3 के तहत परिभाषित किया गया है, 1875. [पैरा 13, 14] [181-सी, ई]

2. निर्विवाद रूप से, अपीलकर्ता, वर्तमान मामले में, मई 1970 में सेवा में प्रवेश की तारीख को नाबालिग था और जब तक कि इसके विपरीत कोई विशिष्ट नियम न हो, नाबालिग सार्वजनिक रोजगार प्राप्त करने के लिए पात्र/योग्य नहीं है। यह सच है कि प्रवेश स्तर पर न्यूनतम आयु हमेशा नियम बनाने वाले प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाएगी। वर्तमान मामले में, राज्य प्राधिकरण ने अपनी पेंशन नियमावली, 1950 के तहत सरकारी कर्मचारी की अर्हक सेवा निर्धारित की है जिसे 23 अगस्त, 1950 से प्रभावी संशोधन द्वारा बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। यदि बिहार सेवा संहिता, 1952 के तहत प्रासंगिक समय पर न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई थी, तो कम से कम सरकार पेंशन नियम, 1950 की सहायता लेने में न्यायसंगत है कि प्रवेश बिंदु पर न्यूनतम आयु सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए 18 वर्ष होगी। [पैरा 15] [181-जीएच; 182-ए-बी]

3. बेशक, इस मामले में, जब अपीलकर्ता ने सेवा में प्रवेश किया, तो वह 15 वर्ष और 6 महीने का था और प्रवेश बिंदु पर वयस्कता और न्यूनतम आयु प्राप्त नहीं की थी पेंशन नियमों की शर्तें, 1950 18 वर्ष है और निकास बिंदु के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 60 वर्ष है तार्किक परिणाम के रूप में, सरकारी सेवा में प्रदान की जा सकने वाली सेवा की कुल लंबाई 42 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है और जब एक स्पष्ट स्व-स्पष्ट प्रावधान है, तो इसके विपरीत या असंगत या असंगत कुछ भी, कोई परिपत्र या संकल्प या आदेश, नियमों की

योजना में निहित अधिकार को कम करने के लिए कोई कानूनी और वैध प्रभाव नहीं होगा। निर्विवाद रूप से, अपीलकर्ता को यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि उसे बिहार सेवा संहिता, 1952 के नियम 73 के मद्देनजर बोर्ड के रिकॉर्ड में दर्ज उसकी जन्म तिथि के अनुसार 60 वर्ष की आयु तक जारी रखने का अधिकार है। नियमों की योजना से, यह स्पष्ट है कि बिहार सेवा संहिता, 1952 के नियम 73 के तहत निर्धारित सेवानिवृत्ति आयु सेवानिवृत्ति के उद्देश्य के लिए लागू होगी और व्यक्ति को पेंशन नियम, 1950 को ध्यान में रखते हुए सेवा में 42 वर्ष पूरा करने की आयु से आगे जारी नहीं रखा जा सकता है। वर्तमान मामले में, नियमों की योजना के अलावा, जिसका संदर्भ दिया गया है, . वर्तमान मामले में, नियमों की योजना के अलावा, जिसका संदर्भ दिया गया है, अपीलकर्ता वयस्क होने की आयु से कम सेवा में प्रवेश नहीं कर सकता है, यदि बिहार सेवा संहिता के तहत प्रवेश स्तर पर न्यूनतम आयु का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जैसा कि प्रार्थना की गई है, अलगाव में स्वीकार किया जाता है और प्रवेश स्तर पर आयु को खुला छोड़ दिया जाता है, यह एक ऐसे चरण की ओर ले जाएगा जहां एक बच्चा या किसी भी उम्र का नाबालिग सार्वजनिक रोजगार में प्रवेश करने के लिए अपनी पात्रता का दावा कर सकता है जो कानून में स्पष्ट रूप से अतार्किक और अस्वीकार्य है। [अनुच्छेद 16, 18, 20] [182-सीडी; 184-सी; 185-डी-ई]

रगजवा नारायण मिश्रा और अन्य। बनाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड और अन्य। **2006 (1) पीएलजेआर 410 - स्वीकृत।**

नागालैंड वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी कल्याण संघ और अन्य बनाम नागालैंड राज्य और अन्य **(2010) 7 एससीसी 643: [2010] 7 एससीआर 630 - संदर्भित।**

प्रति इंदिरा बनर्जी , जे. :

आयोजित: 1.1 बिहार राज्य के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी दिनांक 15 जनवरी, 1998 के सरकारी परिपत्र द्वारा बिहार सरकार के अधीन निम्न स्तर की सेवा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। उक्त परिपत्र, नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित करना, जो याचिकाकर्ता की नियुक्ति के लगभग 18

साल बाद जारी किया गया था, भावी था और केवल उक्त परिपत्र जारी होने के बाद की गई नियुक्तियों पर लागू होता है। [पैरा 4] [186-ई]

1.2 बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा के नियम और शर्तें बिहार सेवा संहिता द्वारा शासित होती हैं। बिहार सेवा संहिता के नियम 73 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि सरकारी कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख वह तारीख है जब वह 58 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। उसे सार्वजनिक आधार पर राज्य सरकार की मंजूरी के साथ अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद सेवा में बनाए रखा जा सकता है, जिसे लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। 15 जनवरी 2004 को, बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड ने प्रवेश की आयु को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानने का निर्णय लिया बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड ने उन पदधारियों की सेवा में प्रवेश की आयु को उनकी नियुक्ति के समय 18 वर्ष से कम मानने का संकल्प लिया, जिनकी सेवा में शामिल होने के समय आयु 18 वर्ष से कम थी। उक्त प्रस्ताव के अनुसार, जिन कर्मचारियों को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले नियुक्त किया गया था, उन्हें उनकी नियुक्ति की तारीख को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली गई है और यदि वे श्रेणी -4 के कर्मचारी हैं तो वे 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर और यदि वे श्रेणी -3 के कर्मचारी हैं तो 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त होंगे। श्रेणी-3 के कर्मचारियों के लिए 58 वर्ष की आयु बाद में अपीलकर्ता के सेवा कार्यकाल के दौरान बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई। [पैरा 5,6, 8] [186-जीएच; 187-ए-जी]

1.3 संकल्प पूरी तरह से शब्दबद्ध नहीं हो सकता है। यह संकल्प उन कर्मचारियों के हित में लाभकारी था, जो अन्यथा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि के लिए पेंशन लाभों से वंचित होते। ऐसे कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति की तारीख को 18 वर्ष माना जाना था, ताकि वे अपनी सेवा अवधि के हिस्से के लिए पेंशन लाभ से वंचित न हों, लेकिन बिहार सेवा संहिता के नियम 73 में निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हों। 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करने वाले व्यक्तियों के दिनांक 15 जनवरी, 1998 के परिपत्र के बाद अनियमित नियुक्तियों के कारण भी संकल्प की आवश्यकता हो सकती है, ताकि उनकी नियुक्ति की वैधता के संबंध में सभी विवादों को समाप्त किया जा

सके। ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि संकल्प का उद्देश्य उन कर्मचारियों को सेवानिवृत्त करना था सेवा में 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले, नियमों के अनुसार, सेवानिवृत्ति की वास्तविक आयु पूरी होने से पहले। यदि संकल्प की मंशा होती तो प्रस्ताव की भाषा और/या शब्द अलग होते। [पैरा 9, 10] [187-एच; 188-एसी]

2. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की तिथि बिहार सेवा संहिता के नियम 73 द्वारा शासित होती है। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु कम करने का कोई भी निर्णय कानून के अनुसार बिहार सेवा संहिता के नियम 73 में संशोधन किए बिना नहीं लिया जा सकता था। केवल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के एक संकल्प द्वारा बिहार सेवा संहिता के किसी प्रावधान में संशोधन का प्रश्न ही नहीं उठता। अपीलकर्ता की नियुक्ति के बाद नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु का कोई भी प्रिस्क्रिप्शन, अपीलकर्ता पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता था। [अनुच्छेद 11, 13] [188-एफ-जी; 189-डी

3.1 मात्र तथ्य यह है कि एक कर्मचारी अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के समय नाबालिग हो सकता है, उसकी नियुक्ति के भौतिक समय पर किसी भी कानून की अनुपस्थिति में अप्रासंगिक है, 15/16 वर्षीय नाबालिगों की नियुक्ति पर रोक लगाता है। अपीलकर्ता जो 15-1/2 वर्ष का था, वह नाबालिग हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से बच्चा नहीं है। यह बेतुका है कि कोई भी तर्कसंगत नियोक्ता, बहुत कम एक वैधानिक निकाय, एक बच्चा नियुक्त करेगा। 15 जनवरी, 1998 के परिपत्र के मद्देनजर भविष्य में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों से नियुक्ति के दावों की आशंका भी निराधार है, जिसमें सेवानिवृत्ति की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। परिपत्र बाद की नियुक्तियों को नियंत्रित करेगा। यह सच हो सकता है कि एक नाबालिग अनुबंध में प्रवेश करने में अक्षम है। एक अनुबंध एक नाबालिग के खिलाफ लागू करने योग्य नहीं हो सकता है। नाबालिग द्वारा निष्पादित अनुबंध नाबालिग के विकल्प पर शून्यकरणीय हो सकता है। अवयस्क, वयस्क होने पर, अनुबंध को अस्वीकार या पुष्टि कर सकता है और स्वीकार कर सकता है। यह किसी का मामला नहीं है कि संबंधित कर्मचारियों में से किसी ने भी वयस्क होने पर नियुक्ति के अपने अनुबंध को अस्वीकार कर दिया। एक नियोक्ता जो

जानबूझकर नाबालिगों को अपनी खुली आंखों के साथ नियुक्त करता है, वह रोजगार के अनुबंध के तहत अपने दायित्वों से बच नहीं सकता है, और वह भी तब जब कर्मचारी ने वयस्क होने के बाद लगभग दो दशकों तक सेवा प्रदान की हो। कहा जा सकता है कि अनुबंध को संबंधित कर्मचारियों द्वारा बहुमत प्राप्त करने पर अनुसमर्थित किया गया है। [पैरा 22, 23, 24] [192-बी-फ]

3.2 *रगजवा नारायण मिश्रा* मामले में, पूर्ण पीठ इस बात की सराहना करने में विफल रही कि 1998 के परिपत्र में उन नियुक्तियों के लिए आवेदन का कोई तरीका नहीं हो सकता है जो उक्त परिपत्र जारी होने से पहले ही की जा चुकी थीं, और निश्चित रूप से पूर्वोक्त परिपत्र जारी करने से लगभग दो दशक पहले की गई नियुक्तियों के लिए नहीं, ऐसे समय में जब सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं थी। यह मानते हुए भी कि पेंशन संबंधी लाभों के लिए सरकारी सेवा की कुल लंबाई नियम 73 के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख और 58/60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बीच की अवधि से अधिक नहीं हो सकती है, इसका अर्थ यह होगा कि पेंशन संबंधी लाभों की गणना 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद सेवा की अवधि के आधार पर की जाएगी। किसी भी स्थिति में किसी कर्मचारी को 58 और/या 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता है, जैसा कि बिहार सेवा संहिता के नियम 73 में निर्धारित है। [पैरा 29] [193-ई-जी]

3.3 *रगजवा नारायण मिश्रा* में पूर्ण पीठ का निष्कर्ष, कि बिहार सेवा संहिता के नियम 73 में निर्धारित सेवानिवृत्ति आयु सेवानिवृत्ति के उद्देश्य के लिए लागू होगी और सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने के बाद किसी व्यक्ति को जारी नहीं रखा जा सकता है, अपवाद नहीं है। किसी भी परिस्थिति में कोई सरकारी कर्मचारी बिहार सेवा संहिता के नियम 73 में निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने के बाद सेवा में बने रहने के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। हालांकि, चूंकि बिहार सेवा संहिता के नियम 73 के तहत सेवा की अवधि लागू नियम के तहत सेवानिवृत्ति के लिए एक मानदंड नहीं है, इसलिए एक सरकारी कर्मचारी जिसने सेवा रिकॉर्ड में दर्ज उसकी वास्तविक जन्म तिथि के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु पूरी नहीं की है, उसे 40 साल की सेवा या 40 साल से अधिक की सेवा पूरी करने के आधार पर सेवानिवृत्त नहीं किया

जा सकता है. अधिक से अधिक, पेंशन लाभों की गणना के लिए सेवा की अवधि चालीस वर्ष मानी जाएगी। सेवानिवृत्ति लाभों के प्रयोजन के लिए सेवानिवृत्ति और अर्हक सेवा की आयु एक समान नहीं है। सेवानिवृत्ति के लिए अर्हक सेवा का अर्थ है कि सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के उद्देश्य से सेवा की लंबाई पेंशन की अर्हक सेवा की आयु प्राप्त करने से शुरू होगी। इस प्रकार, यदि आयु के लिए योग्यता सेवा पेंशन 18 वर्ष है, पेंशन लाभों की गणना के लिए सेवा की लंबाई की गणना 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख से करनी होगी। हालांकि, यदि सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु 60 वर्ष पूरी हो गई है, तो किसी कर्मचारी को सेवा नियमों में दिए गए आधारों को छोड़कर उस आयु को प्राप्त करने से पहले सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। [अनुच्छेद 30, 32, 33] [193-एच; 194-ए-एफ]

रगजवा नारायण मिश्रा बनाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड और अन्य। **2006 (1) पीएलजेआर 410 - अस्वीकृत।**

अतिबारी टी कंपनी लिमिटेड बनाम असम राज्य **एआईआर 1961 एससी 232: [1961] एससीआर 809;** *जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य* **(2016) एससीसी ऑनलाइन 1260**; *गणेश राम बनाम झारखंड राज्य और अन्य* **2006 (2) एफ एल आर 156 -- संदर्भित किया गया।**

<u>केस लॉ संदर्भ</u>

प्रति अजय रस्तोगी, जे.:

2006 (1) पीएलजेआर 410	**अनुमोदित**	**पैरा 8**
[2010] 7 एससीआर 630	**निर्दिष्ट**	**पैरा 19**

प्रति इंदिरा बनर्जी, जे.:

2006 (1) पीएलजेआर 410	**अस्वीकृत**	**पैरा 21**

[1961] एससीआर 809	**निर्दिष्ट**	**पैरा 34**
(2016) एससीसी ऑनलाइन 1260	**निर्दिष्ट**	**पैरा 34**
2006 (2) एफएलआर 156	**निर्दिष्ट**	**पैरा 37**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार को संदर्भित: 2012 की सिविल अपील संख्या 8225 (2012) के लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1090 में पटना में उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.08.2012 के निर्णय और आदेश से।

उपस्थित होने वाले दलों के लिए आनंद शंकर झा, अर्जुन गर्ग, श्रीकांत एस, मनीष कुमार और गोपाल सिंह, एडवोकेट।

न्यायालय के निर्णय दिया गया

रस्तोगी, जे।

1. वर्तमान अपील 2012 के लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1090 में पटना में न्यायिक उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित 3 अगस्त, 2012 के फैसले के खिलाफ निर्देशित है, जिसमें उच्च न्यायालय की एकल पीठ के 24 अप्रैल, 2012 के फैसले की पुष्टि की गई है कि अपीलकर्ता को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त किया गया है।

2. वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक संक्षिप्त तथ्य जो रिकॉर्ड से प्रकट होते हैं, वे हैं कि अपीलकर्ता बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड का कर्मचारी था (इसके बाद "बोर्ड" के रूप में संदर्भित किया जा रहा है) और शुरू में उसे 20 मई, 1970 के आदेश के तहत सुलेखकार सह सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसके अनुसार वह 27 मई को सेवा में शामिल हुआ, हालांकि स्कूल के रिकॉर्ड के अनुसार अपीलकर्ता की जन्म तिथि 19 नवंबर, 1954 थी और 27 मई, 1970 को सेवा में प्रवेश करने के समय, वह 15 साल 6 महीने और 8 दिन का था। सेवा में उनके प्रवेश के समय, बोर्ड के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष थी लेकिन बाद के चरण में, बिहार सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई थी,

इसके परिणामस्वरूप बोर्ड ने भी 30 मार्च, 2005 को आयोजित अपनी बैठक में अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का निर्णय लिया और इसके अनुसरण में, बोर्ड कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख वह तारीख बन गई जिस दिन किसी ने 60 वर्ष की आयु प्राप्त की।

3. गुण-दोष के आधार पर मामले की जांच करने से पहले, इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नियमों के भौतिक प्रक्षेपण पर ध्यान देना उचित होगा। राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवाएं बिहार सेवा संहिता, 1952, बिहार पेंशन नियम, 1950 द्वारा शासित होती हैं। बिहार सेवा संहिता, 1952 के नियम 73 के तहत सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित की गई है। इसी समय, 20 जनवरी, 1950 से प्रभावी बिहार पेंशन नियम, 1950 के नियम 57 में अर्हक सेवा निर्धारित की गई है, और 23 अगस्त, 1950 से संशोधित पेंशन नियमों की धारा IV (अर्हक सेवा) के नियम 5 द्वारा आगे संशोधित किया गया है। इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नियम यहां दिए गए हैं।

<u>बिहार सेवा संहिता, 1952 का नियम 73</u>

"सरकारी कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख वह तारीख है जब वह 58 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद सेवा में बनाए रखा जा सकता है। सार्वजनिक आधार पर राज्य सरकार की मंजूरी के साथ, जिसे लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।

<u>बिहार पेंशन नियमावली, 1950 का नियम 57 20 जनवरी, 1950 से प्रभावी है</u>

"कि निम्न सेवा में कार्यरत सरकारी सेवक के लिए अर्हक सेवा तब तक शुरू नहीं होगी जब तक कि संबंधित सरकारी कर्मचारी 16 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता"।

<u>23 अगस्त, 1950 से प्रभावी पेंशन नियमावली की धारा IV (अर्हक सेवा) का नियम 5</u>

"अवर सेवा से संबंधित सरकारी सेवक के मामले में न्यूनतम आयु जिसके पश्चात् पेंशन के लिए सेवा 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है (1) जो बिहार सरकार की सेवा में प्रवेश करता है, उस तारीख के पश्चात् जिस तारीख को यह आदेश लागू हुआ था या (2) जो, उस तारीख को या उससे पहले ऐसी सेवा में प्रवेश करने वाले व्यक्ति ने उस

तारीख को बिहार सरकार के अधीन स्थायी पेंशन योग्य पद पर ग्रहणाधिकार या निलंबित ग्रहणाधिकार नहीं रखा था"।

4. बिहार राज्य के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी दिनांक 15 जनवरी, 1998 के एक सरकारी परिपत्र द्वारा भी भरोसा किया गया है। 5. पूर्वोक्त प्रावधानों की सावधानीपूर्वक जांच करने पर, यह स्पष्ट हो जाता है

5. पूर्वोक्त प्रावधानों की सावधानीपूर्वक जांच करने पर, यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि पेंशन नियम 1950 में पेश किए गए थे और 23 अगस्त, 1950 से प्रभावी पेंशन नियम, 1950 के नियम 5 के तहत संशोधन किए जाने के बाद, पेंशन के लिए अर्हक सेवा की न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो गई थी। यह विवादित नहीं है कि बिहार सेवा संहिता, 1952 के तहत सेवा में प्रवेश करने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन फिर भी किसी के बहुमत की आयु प्राप्त करने से पहले सेवा में कोई प्रवेश नहीं हो सकता है, अर्थात नियम, 1950 के तहत निर्धारित 18 वर्ष, जब तक कि इसके विपरीत कोई विशिष्ट नियम न हो। सेवानिवृत्ति की आयु को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि वर्तमान मामले में 60 वर्ष का है, अधिकतम अर्हक सेवा जो कोई प्रदान कर सकता है वह 42 वर्ष की होगी।

6. बोर्ड ने 15 जनवरी, 2004 को आयोजित अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले सेवा में प्रवेश किया है, उनकी नियुक्ति की तारीख को उनकी आयु 18 वर्ष मानते हुए, उन्हें श्रेणी -4 के मामले में 60 वर्ष की प्रतियोगिता पर और श्रेणी -3 के मामले में 58 वर्ष की आयु की प्रतियोगिता पर सेवानिवृत्त किया जाएगा। 15 जनवरी, 2004 को आयोजित बोर्ड की बैठक के संकल्प का उद्धरण पेपर बुक के अनुलग्नक पी-2 पर रखा गया है, जो इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, यहां उद्धृत किया गया है:

"....

एजेंडा नंबर 2

समिति में नियुक्त 18 वर्ष से कम आयु के कर्मचारियों के संबंध में।	समिति में नियुक्त 18 वर्ष से कम आयु के कर्मचारियों के बारे में 18.11.03 को आयोजित समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में प्राप्त कानूनी सलाह के विश्लेषण के बाद, माननीय सदस्य डॉ. जितेंद्र सिंह, कुलाधिपति पटना विश्वविद्यालय, पटना ने सूचित किया कि सचिव से पत्र संख्या 1961 दिनांक 12.11.1995 के तहत समिति में भी कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए, उच्च शिक्षा विभाग, पटना। उक्त पत्र के प्रावधान के अनुसार, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि बिहार स्कूल परीक्षा समिति में नियुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति 18 वर्ष से कम है, उनकी नियुक्ति की तारीख को उनकी आयु 18 वर्ष है, उन्हें श्रेणी-4 के मामले में 60 वर्ष की आयु और श्रेणी-3 के मामले में 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्ति दी जाएगी।

7. 15 जनवरी, 2004 के अपने संकल्प को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता को 26 मार्च, 2012 के पत्र द्वारा सूचित किया गया था कि उसने 42 साल की अर्हक सेवा पूरी कर ली है जो एक कर्मचारी प्रदान कर सकता है और तदनुसार वह 42 साल की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद 31 मई, 2012 को सेवा से सेवानिवृत्त हो गया।

8. अपीलकर्ता का दावा था कि उसे बोर्ड में और साथ ही अपनी सेवा पुस्तिका, यानी 19 नवंबर, 1954 में दर्ज उसकी आयु के आधार पर 60 वर्ष पूरे करने पर सेवा से सेवानिवृत्त किया

जाना चाहिए। रिकार्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ के विवाद और मतों में विरोधाभास का समाधान पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 5 जनवरी, 2005 के निर्णय के तहत **रागजवा नारायण मिश्र और अन्य बनाम बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड और अन्य भारत संघ और अन्य**[1] के मामले में पूर्ण न्यायपीठ द्वारा किया गया था। (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के मामले में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड और अन्य के मामले में रिट याचिका (सिविल) संख्या 1 में दिनांक 10-11-2010 के अपने निर्णय में इस बात की पुष्टि की थी कि बोर्ड में दर्ज उसकी आयु के आधार पर अपीलकर्ता के 60 वर्ष की आयु पूरी करने तक सेवा में बने रहने के दावे को अस्वीकार करते हुए यानी 19 वीं नवंबर,1954.

9. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि किसी व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले केवल इसलिए सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह 42 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करता है, इसके विपरीत ऐसे किसी भी नियम के अभाव में। उपरोक्त निर्णय बिहार सेवा संहिता, 1952 के नियम 73 के दांतों में था, जो केवल आयु को सेवानिवृत्ति के मानदंड के रूप में निर्धारित करता है। सेवानिवृत्ति के मानदंड के रूप में सेवा की लंबाई निर्धारित करने वाला कोई नियम नहीं है और इस पर पूर्ण पीठ द्वारा विचार नहीं किया गया है, जिस पर अपीलकर्ता के तर्क को रद्द करने में उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में भरोसा किया गया है।

10. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील, आक्षेपित निर्णय में उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा दर्ज निष्कर्षों का समर्थन करते हुए, प्रस्तुत करते हैं कि उच्च न्यायालय की दो डिवीजन बेंचों के बीच मतभेद था और जिसे **रागजवा नारायण मिश्रा और अन्य** (सुपरा) में पूर्ण पीठ द्वारा हल किया गया है। मामले (सुप्रा) और उच्च न्यायालय द्वारा इसका लगातार पालन किया गया है और आगे प्रस्तुत करता है कि बहुमत अधिनियम, 1875 की धारा 3 के अनुसार बहुमत की आयु प्राप्त करने से पहले यानी 18 वर्ष प्राप्त करने से पहले सार्वजनिक

[1] 2006 (1) पीएलजेआर 410

रोजगार में प्रवेश की पेशकश नहीं की जा सकती है, सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष/60 वर्ष होगी, जैसा भी मामला हो, कुल सेवा जो तार्किक रूप से प्रदान की जा सकती है, किसी भी मामले में 40/42 वर्ष की सेवा से अधिक नहीं हो सकती है और यह बोर्ड द्वारा 15 जनवरी, 2004 को आयोजित अपनी बैठक में हल किया गया है और यह अपीलकर्ता द्वारा भी चुनौती का विषय नहीं था जब उसे 26 मार्च के पत्र द्वारा सूचित किया गया था, (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह घोषणा की है कि वह 42 वर्ष की सेवा पूरी करने पर 31 मई, 2012 को अधिवषता की आयु प्राप्त कर लेंगे।

11. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करता है कि बिहार सेवा संहिता, 1952 के नियम 73 को बिहार पेंशन नियम, 1950 के नियम 57 और पेंशन नियमों की धारा IV के नियम 5 के साथ पढ़ा जाता है, यह स्पष्ट करता है कि वर्ष 1970 में भी जब अपीलकर्ता को नियुक्त किया गया था और यदि प्रवेश स्तर पर आयु के साथ व्यक्ति 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले सरकारी सेवा में कोई प्रविष्टि नहीं हो सकती है और निकास स्तर नियम बनाने वाले प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है, किसी भी खिंचाव से, कोई भी 40/42 वर्ष से अधिक की सेवा से आगे नहीं बढ़ सकता है। मौजूदा परिस्थितियों में, जब अपीलकर्ता ने निर्विवाद रूप से मई 2012 में 42 साल की सेवा पूरी कर ली थी, तो प्रतिवादी के उसे सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त करने के निर्णय को गलत नहीं कहा जा सकता है और इस स्तर पर इस पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता है, खासकर जब उच्च न्यायालय द्वारा लगभग डेढ़ दशक से अधिक समय से लगातार इसका पालन किया जा रहा है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

12. पूर्वोक्त वैधानिक नियमों के प्रावधान जिन्हें सुप्रा को संदर्भित किया गया है, यह परिकल्पना करते हैं कि सरकार ने बिहार पेंशन नियमों में नियम 5 को सम्मिलित किए गए संशोधन के आधार पर, जो अपीलकर्ता के बोर्ड की सेवा में प्रवेश करने से बहुत पहले 23 अगस्त, 1950 से प्रभावी हुआ, पेंशन लाभों के विचार के लिए सरकारी कर्मचारी की योग्यता आयु सरकारी सेवा में 18 वर्ष हो गई जिसे स्पष्ट किया गया (ग) सरकार ने अपने दिनांक 15 जनवरी, 1998 के आदेश द्वारा अपने सभी अधीनस्थों को यह स्पष्ट करने का इरादा स्पष्ट कर

दिया है कि सेवा में प्रवेश करने वाले सरकारी कर्मचारी की आयु 18 वर्ष होगी।

13. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि कर्मचारियों की सेवा शर्तें सामान्यतः सांविधिक नियमों द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में बाध्यकारी बल वाले विनियमों या प्रशासनिक निर्णयों के अंतर्गत शासित होती हैं, लेकिन केवल वयस्कता की आयु प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही सेवा की वैध संविदा करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम होगा। भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 11 परिभाषित करती है कि अनुबंध के लिए कौन सक्षम है।

"अनुबंध करने के लिए कौन सक्षम हैं - प्रत्येक व्यक्ति अनुबंध करने के लिए सक्षम है जो उस कानून के अनुसार वयस्कता की आयु का है जिसके अधीन वह है, और जो स्वस्थ दिमाग का है और किसी भी कानून द्वारा अनुबंध से अयोग्य नहीं है जिसके अधीन वह है।

14. प्रावधान स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि सेवा के वैध अनुबंध में प्रवेश करने के लिए, किसी को बहुमत अधिनियम, 1875 के संदर्भ में वयस्कता की आयु प्राप्त करनी होगी और वयस्कता की आयु क्या हो सकती है, इसे बहुमत अधिनियम, 1875 की धारा 3 के तहत परिभाषित किया गया है जो निम्नानुसार है: -

"3. भारत में अधिवासित व्यक्तियों के बहुमत की आयु- (1) भारत में अधिवासित प्रत्येक व्यक्ति अठारह वर्ष की आयु पूरी करने पर वयस्कता की आयु प्राप्त करेगा और उससे पहले नहीं।

(2) किसी व्यक्ति की आयु की गणना करने में, जिस तारीख को उसका जन्म हुआ था, उसे पूरे दिन के रूप में सम्मिलित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि उसने उस दिन की अठारहवीं वर्षगांठ के प्रारंभ में वयस्कता प्राप्त कर ली है"।

15. निर्विवाद रूप से, अपीलकर्ता, वर्तमान मामले में, मई 1970 में सेवा में प्रवेश की तारीख को नाबालिग था और जब तक कि इसके विपरीत कोई विशिष्ट नियम नहीं है, नाबालिग सार्वजनिक रोजगार प्राप्त करने के लिए पात्र/योग्य नहीं है। यह सच है कि प्रवेश स्तर पर

न्यूनतम आयु हमेशा नियम बनाने वाले प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाएगी। वर्तमान मामले में, राज्य प्राधिकरण अपने पेंशन नियम, 1950 के तहत अर्हक निर्धारित करता है।

सरकारी कर्मचारी की सेवा जिसे 23 अगस्त, 1950 से प्रभावी किए गए संशोधन द्वारा बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। यदि बिहार सेवा संहिता, 1952 के तहत प्रासंगिक समय पर न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई थी, तो कम से कम सरकार पेंशन नियम, 1950 की सहायता लेने में न्यायसंगत है कि प्रवेश बिंदु पर न्यूनतम आयु सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए 18 वर्ष होगी। इसके अलावा, यदि प्रवेश स्तर पर उम्र को खुला छोड़ दिया जाता है, तो किसी भी उम्र का नाबालिग, सार्वजनिक रोजगार के लिए अपनी पात्रता की तलाश कर सकता है, जिससे कोई जीवन भर की सेवा प्रदान नहीं कर सकता है जो प्रकट रूप से अतार्किक है और नियम बनाने वाले प्राधिकरण का इरादा कभी नहीं हो सकता है।

16. बेशक, वर्तमान मामले में, जब अपीलकर्ता ने सेवा में प्रवेश किया, तो वह 15 वर्ष और 6 महीने का था और पेंशन नियम, 1950 के संदर्भ में प्रवेश बिंदु पर वयस्कता और न्यूनतम आयु प्राप्त नहीं की थी 18 वर्ष है और निकास बिंदु के लिए निर्धारित अधिकतम आयु तार्किक परिणाम के रूप में 60 वर्ष है, सरकारी सेवा में प्रदान की जा सकने वाली सेवा की कुल लंबाई 42 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है और जब कोई स्पष्ट स्व-स्पष्ट प्रावधान है, तो इसके विपरीत या असंगत या असंगत कुछ भी, किसी भी परिपत्र या संकल्प या आदेश का नियमों की योजना में निहित अधिकार को कम करने के लिए कोई कानूनी और वैध प्रभाव नहीं होगा और पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा क्या विचार किया गया है, जिस पर उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा भरोसा किया गया था, जबकि अपीलकर्ता के दावे को अस्वीकार करते हुए **रागजवा नारायण मिश्र और अन्य** (सुप्रा) में इस प्रकार है:- "

> “16. जैसा कि यह हो सकता है, एक बात निश्चित है कि दोनों याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी बोर्ड के साथ अनुबंध में प्रवेश करते समय वे वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं की थी। इसके कानूनी प्रभाव और प्रभाव के अलावा, एक अनुबंध की स्थिति पर प्रभाव और

अंतिम परिणाम, सेवा संबंध के संदर्भ में, एक व्यक्ति को एक वैध सेवा में प्रवेश करने के लिए कहा जा सकता है, केवल तभी कहा जा सकता है, जब उसने वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली हो। इसलिए सरकारी सेवा में प्रवेश बिंदु पर निर्धारित न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। निकास बिंदु के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 58 वर्ष है। दूसरे शब्दों में, पेंशन लाभों के लिए किसी भी मामले में सरकारी सेवा की अवधि की कुल अवधि 40 वर्ष से अधिक नहीं होगी। इस संदर्भ में, ऊपर उल्लिखित सरकारी परिपत्र पर विचार करने की आवश्यकता है। जब कोई स्पष्ट नियम उपबंध है जो उसके विपरीत या असंगत है तो किसी परिपत्र या संकल्प या आदेश का कोई विधिक और विधिमान्य नहीं होगा। नियम प्रावधान में निहित अधिकार को कम करने के लिए प्रभाव। यहां तक कि अगर याचिकाकर्ताओं द्वारा भरोसा किए गए 1998 के उक्त परिपत्र को उनके लिए फायदेमंद माना जाता है, तो भी, इसे इस समय बिहार पेंशन नियमों के साथ-साथ बिहार सेवा संहिता में शामिल मौजूदा वैधानिक प्रावधान के साथ नहीं पढ़ा जा सकता है। इसलिए, उस दृष्टिकोण से भी याचिकाकर्ताओं को यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि उन्हें 58 वर्ष की आयु से आगे भी बने रहने का अधिकार है, हालांकि बिहार सेवा संहिता के नियम 73 में प्रदान किया गया है जो 58 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु निर्धारित करता है।

17. तीसरा, यह विधि और न्यायशास्त्र के सिद्धांतों का स्थापित और स्थापित प्रस्ताव है कि कोई व्यक्ति जो सेवा में प्रवेश बिंदु पर एक या अन्य कारणों से अनुचित लाभ उठाता है, उसे यह आग्रह करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि उसे उच्च लाभ दिया जाए और यदि यह आग्रह किया जाता है तो स्पष्ट रूप से, यह दर्शाता है कि कुछ गलत या अनियमित किया गया है, प्रवेश बिंदु पर, सेवा में। अत स्थापित सिद्धांत भी इस न्यायालय से राहत प्राप्त करने में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के उपबंध का आहवान करके असाधारण, विशेषाधिकारपूर्ण, न्यायसंगत और विवेकाधीन रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहा है। 18. इसलिए, हमारी

राय में, दोनों रिट याचिकाओं में सवाल किए गए आक्षेपित आदेशों में, जाहिर है, किसी भी दृष्टिकोण से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है। इसलिए, कानून का प्रस्ताव साक्ष्य और स्पष्ट किया जाता है कि बिहार सेवा संहिता के नियम 73 में निर्धारित सेवानिवृत्ति आयु सेवानिवृत्ति के उद्देश्य के लिए लागू होगी और किसी व्यक्ति को सेवा में 40 वर्ष पूरा करने की आयु से आगे नहीं रखा जा सकता है। अत यह स्पष्ट है कि 40 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके अथवा 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके सरकारी कर्मचारी को मौजूदा नियम उपबंध के अनुसार सेवानिवृत्त होना होगा। इसलिए, हमारा उत्तर बहुत स्पष्ट है और हम तदनुसार इस संदर्भ का उत्तर देते हैं। पूर्वोक्त निर्णयों में विरोधाभासी दृष्टिकोण जो पहले संदर्भित है, वह एक अच्छा कानून नहीं होगा।

18. इसलिए, हमारी राय में, दोनों रिट याचिकाओं में सवाल किए गए आक्षेपित आदेशों में, जाहिर है, किसी भी दृष्टिकोण से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है। इसलिए, कानून का प्रस्ताव साक्ष्य और स्पष्ट किया जाता है कि बिहार सेवा संहिता के नियम 73 में निर्धारित सेवानिवृत्ति आयु सेवानिवृत्ति के उद्देश्य के लिए लागू होगी और किसी व्यक्ति को सेवा में 40 वर्ष पूरा करने की आयु से आगे नहीं रखा जा सकता है। अत यह स्पष्ट है कि 40 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके अथवा 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके सरकारी कर्मचारी को मौजूदा नियम उपबंध के अनुसार सेवानिवृत्त होना होगा। इसलिए, हमारा उत्तर बहुत स्पष्ट है और हम तदनुसार इस संदर्भ का उत्तर देते हैं। पूर्वोक्त निर्णयों में विरोधाभासी दृष्टिकोण जिसका उल्लेख किया गया है, एक अच्छा कानून नहीं होगा।"

17. पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा एक दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है, जिसका संदर्भ दिया गया है, संभावना का दूसरा दृष्टिकोण जिसे झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित किया गया है, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा अपील में एक संदर्भ दिया गया है, लेकिन जिस बात ने मुझे आगे बढ़ाया, वह यह है कि कम से कम बिहार राज्य में दिनांक 5 दिसम्बर, 2005

के पटना उच्च न्यायालय के आदेश का लगभग डेढ़ दशक से लगातार अनुसरण किया जा रहा है और विद्वान एकल न्यायाधीश/खंडपीठ ने पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ पर भरोसा करते हुए कई आदेश पारित किए हैं। जो विचार व्यक्त किया गया है वह प्रशंसनीय विचारों में से एक है और मेरे विचार से, केवल इस कारण से पलटना उचित नहीं होगा कि झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया विचार सांविधिक नियमों की योजना की सराहना करने में अधिक प्रशंसनीय प्रतीत होता है जिसका संदर्भ दिया गया है।

18. निर्विवाद रूप से, अपीलकर्ता को यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि उसे बिहार सेवा संहिता, 1952 के नियम 73 के मद्देनजर बोर्ड के रिकॉर्ड में दर्ज उसकी जन्म तिथि के अनुसार 60 वर्ष की आयु तक जारी रखने का अधिकार है। नियमों की योजना से, यह स्पष्ट है कि बिहार सेवा संहिता, 1952 के नियम 73 के तहत निर्धारित सेवानिवृत्ति आयु सेवानिवृत्ति के उद्देश्य के लिए लागू होगी और व्यक्ति को पेंशन नियम, 1950 को ध्यान में रखते हुए सेवा में 42 वर्ष पूरा करने की आयु से आगे जारी नहीं रखा जा सकता है। यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि जिस सरकारी कर्मचारी ने 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 42 वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी, दोनों निहित हैं, नियमों की योजना के संदर्भ में सेवानिवृत्त होना होगा और उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा निर्णय में इस पर विचार किया गया है जिस पर पटना उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में भरोसा किया गया है।

19. **नागालैंड वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी कल्याण संघ और अन्य बनाम नागालैंड राज्य और अन्य** 2010 (7) एससीसी 643 में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ को लोक रोजगार अधिनियम, 1991 की धारा 3 की वैधता की जांच करने का अवसर मिला था, जैसा कि लोक रोजगार (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसे निम्नलिखित प्रावधान द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था: -

> "3.(1) तत्समय प्रवृत्त किसी नियम या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, लोक नियोजन में कोई व्यक्ति लोक नियोजन ग्रहण करने की तारीख से 35 वर्ष की अवधि के

लिए अथवा 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।

(2) लोक नियोजन के अधीन कोई व्यक्ति उस मास के अंतिम दिन की अपराह्न को सेवानिवृत्त होगा जिसमें वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करता है या जिसमें वह लोक नियोजन के 35 वर्ष पूरे करता है, इनमें से जो भी पहले हो, सेवानिवृत्त होगा"।

इस न्यायालय ने आगे कहा कि सार्वजनिक सेवा से सेवानिवृत्ति के लिए वैकल्पिक मानदंड के रूप में सेवा की अधिकतम लंबाई का निर्धारण, कल्पना के किसी भी खिंचाव से, रोजगार योजना के किसी भी मान्यता प्राप्त मानदंडों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। पैरा 40 को यहां उद्धृत किया गया है-

"**40.** हमें डर है, के. नागराज केस [(1985) 1 एससीसी 523 अपीलकर्ताओं की मदद करने के बजाय, बल्कि राज्य के रुख का समर्थन करता है। लोक सेवा से सेवानिवृत्ति के वैकल्पिक मानदंड के रूप में सेवा की अधिकतम अवधि के निर्धारण को, किसी भी प्रकार से कल्पना के आधार पर रोजगार योजना के किसी भी मान्यता प्राप्त मानदंडों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। बड़ी संख्या में बाध्यकारी कारण हो सकते हैं जिनके लिए सरकार (या उस मामले के लिए विधायिका) को निर्दिष्ट वर्षों के पूरा होने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति के नियम को निर्धारित करने की आवश्यकता हो सकती है। यदि कारण प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के अनुरूप हैं, तो इस तरह के प्रावधान को शायद ही गलत ठहराया जा सकता है।

20. वर्तमान मामले में, नियमों की योजना के अलावा, जिसका संदर्भ दिया गया है, अपीलकर्ता वयस्क होने की आयु से कम सेवा में प्रवेश नहीं कर सकता है, यदि बिहार सेवा संहिता के तहत प्रवेश स्तर पर न्यूनतम आयु का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जैसा कि प्रार्थना की गई है, अलगाव में स्वीकार किया जाता है और प्रवेश स्तर पर आयु को खुला छोड़ दिया जाता है, यह हमें एक ऐसे चरण में ले जाएगा जहां एक बच्चा या किसी भी उम्र का नाबालिग

सार्वजनिक रोजगार में प्रवेश करने के लिए अपनी पात्रता का दावा कर सकता है जो कानून में स्पष्ट रूप से अतार्किक और अस्वीकार्य है।

21. इस प्रकार, नियमों की मौजूदा योजना के तहत, अर्हक सेवा जो कोई भी किसी भी तरीके से प्रदान कर सकता है, 42 वर्ष से अधिक नहीं होगी और यह सरकार द्वारा 15 जनवरी, 1998 के अपने परिपत्र द्वारा स्पष्ट किया गया है और जिसे बोर्ड द्वारा 15 जनवरी, 2004 को आयोजित अपनी बैठक में नोट किया गया था, जो चुनौती का विषय नहीं था और अपीलकर्ता को पूर्ण रोजगार प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति के बारे में सूचित किया गया था 31 मई, 2012 को 42 वर्षों का समय दिया गया, जिसे मेरे विचार से नियमों की योजना का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।

22. अपील में कोई तथ्य नहीं है और तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

23. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटान कर दिया गया है।

इंदिरा बनर्जी, जे.

1. मैंने अपने सम्मानित भाई द्वारा तैयार किए गए निर्णय के मसौदे को पढ़ा है, लेकिन दुर्भाग्य से मैं इस बात से सहमत नहीं हो पाया हूं कि अपील खारिज कर दी जानी चाहिए।

2. अपील पटना में न्यायिक उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा पारित दिनांक 3.8.2012 के एक आदेश के खिलाफ है, जिसमें 2012 के लेटर्स पेटेंट अपील नंबर 1090 को खारिज कर दिया गया था और अपीलकर्ता द्वारा दायर 2012 की रिट याचिका सीडब्ल्यूजेसी नंबर 7718 को खारिज करने वाली एकल पीठ के आदेश दिनांक 24.4.2017 की पुष्टि की गई थी।

3. अपीलकर्ता को 20 मई 1970 को लगभग 151/2 वर्ष की आयु में बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड के सुलेख-सह-सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था। यह विवाद में नहीं है, कि अपीलकर्ता की नियुक्ति की तारीख, यानी 20 मई 1970 को सुलेख-सह-सहायक के पद पर

नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई थी। हालांकि, पेंशन योग्य सेवा में प्रवेश की न्यूनतम आयु 16 वर्ष थी। इसका मतलब यह है कि 16 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले किसी कर्मचारी की सेवा की अवधि, पेंशन में नहीं गिनी जाएगी।

4. बिहार राज्य के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी 15 जनवरी 1998 के एक सरकारी परिपत्र द्वारा, बिहार सरकार के तहत एक अवर सेवा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। उक्त परिपत्र, नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित करना, जो याचिकाकर्ता की नियुक्ति के लगभग 18 साल बाद जारी किया गया था, भावी था और केवल उक्त परिपत्र जारी होने के बाद की गई नियुक्तियों पर लागू होता था।

5. बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा के नियम और शर्तें बिहार सेवा संहिता द्वारा शासित होती हैं। बिहार सेवा संहिता के नियम 73 में अन्य बातों के *साथ-साथ* यह प्रावधान है कि "*सरकारी कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख वह तारीख है जब वह 58 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। उसे सार्वजनिक आधार पर राज्य सरकार की मंज़ूरी के साथ अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद सेवा में बनाए रखा जा सकता है, जिसे लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए"।*

6. 15 जनवरी 2004 को, बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड ने उन पदधारियों की सेवा में प्रवेश की आयु को 18 वर्ष से कम उम्र के रूप में मानने का संकल्प लिया, जो सेवा में शामिल होने के समय 18 वर्ष से कम थे, उनकी नियुक्ति के समय 18 वर्ष के रूप में।

7. अंग्रेजी में अनूदित संकल्प का प्रासंगिक उद्धरण सुविधा के लिए नीचे दिया गया है:-

> *"आज 15 जनवरी, 2004 को अध्यक्ष के कक्ष में आयोजित बोर्ड ऑफ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन कमेटी की बैठक हुई। जिसमें पटना विश्वविद्यालय, पटना के कुलाधिपति डॉ. जितेंद्र सिंह और सीएम हाई स्कूल, सीवान के सहायक शिक्षक श्री सुभाष चंद्र चौधरी ने अध्यक्ष के अलावा सदस्यों के रूप में भाग लिया।*

गोपाल प्रसाद बनाम बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड और अन्य

कार्यवाही

एजेंडा नंबर 1: ....

एजेंडा नंबर 2

समिति में नियुक्त 18 वर्ष से कम आयु के कर्मचारियों के संबंध में।	समिति में नियुक्त 18 वर्ष से कम आयु के कर्मचारियों के बारे में 18.11.2003 को आयोजित समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में प्राप्त कानूनी सलाह के विश्लेषण के बाद, माननीय सदस्य डॉ जितेंद्र सिंह, कुलाधिपति, पटना विश्वविद्यालय, पटना ने सूचित किया कि सचिव से दिनांक 12.11.1995 के पत्र संख्या 1961 के तहत समिति में भी कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए। उच्च शिक्षा विभाग, बिहार पटना। उक्त पत्र के प्रावधान के अनुसार, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि बिहार स्कूल परीक्षा समिति में नियुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति 18 वर्ष से कम आयु में उनकी नियुक्ति की तारीख को 18 वर्ष है, उन्हें श्रेणी-4 के मामले में 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर और श्रेणी-3 के मामले में 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त किया जाएगा।

8. उक्त प्रस्ताव को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि जिन कर्मचारियों को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले नियुक्त किया गया था, उन्हें उनकी नियुक्ति की तारीख को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली गई है और यदि वे श्रेणी-4 के कर्मचारी हैं तो वे 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर और यदि वे श्रेणी-3 के कर्मचारी हैं तो 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त होंगे। श्रेणी -3 के कर्मचारियों के लिए 58 वर्ष की आयु, बाद में, अपीलकर्ता की सेवा के कार्यकाल के दौरान बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई थी

9. संकल्प पूरी तरह से शब्द नहीं हो सकता है। मेरे विचार में, संकल्प उन कर्मचारियों के हित में फायदेमंद था, जो अन्यथा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि के लिए पेंशन लाभों से वंचित होते। ऐसे कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति की तारीख को 18 वर्ष माना जाना था, ताकि वे अपनी सेवा अवधि के हिस्से के लिए पेंशन लाभ से वंचित न हों, लेकिन बिहार सेवा संहिता के नियम 73 में निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हों। 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करने वाले व्यक्तियों के दिनांक 15 जनवरी, 1998 के परिपत्र के बाद अनियमित नियुक्तियों के कारण भी संकल्प की आवश्यकता हो सकती है, ताकि उनकी नियुक्ति की वैधता के संबंध में सभी विवादों को समाप्त किया जा सके। ऐसा नहीं लगता कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य उन कर्मचारियों को सेवानिवृत्त करना था जो नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति की वास्तविक आयु पूरी होने से पहले 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले सेवा में शामिल हुए थे।

10. यदि प्रस्ताव का यह इरादा होता कि बिहार सेवा संहिता के नियम 73 के अनुसार, 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले नियुक्त कर्मचारी सेवानिवृत्ति की वास्तविक आयु प्राप्त करने से पहले सेवानिवृत्त होंगे, तो प्रस्ताव की भाषा और/या शब्द अलग होते। प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले नियुक्त कर्मचारियों की जन्म तिथि,

सेवानिवृत्ति के उद्देश्य से, संबंधित कर्मचारी का जन्म होने की तारीख मानी जाएगी, यदि वह नियुक्ति की तारीख को 18 वर्ष की आयु पूरी करता है। प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से कहा गया होगा कि ऐसे कर्मचारी अपनी डीम्ड जन्मतिथि के आधार पर बिहार सेवा संहिता में निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होंगे, इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड द्वारा दर्ज की गई जन्म तिथि के अनुसार बिहार सेवा संहिता के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त नहीं की हो।

11. जैसा कि ऊपर देखा गया है, बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की तारीख बिहार सेवा संहिता के नियम 73 द्वारा शासित होती है। मेरे विचार से 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु कम करने का कोई भी निर्णय कानून के अनुसार बिहार सेवा संहिता के नियम 73 में संशोधन किए बिना नहीं लिया जा सकता था। केवल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के एक संकल्प द्वारा बिहार सेवा संहिता के किसी प्रावधान में संशोधन का प्रश्न ही नहीं उठता।

12. 14 फरवरी 2004 को अपीलकर्ता को एक कार्यालय आदेश जारी किया गया था, जिसकी सामग्री, जैसा कि अनुवादित है, नीचे उद्धृत की गई है: -

> "श्री गोपाल प्रसाद, सहायक को 18 वर्ष से कम आयु में बिहार स्कूल परीक्षा समिति में नियुक्ति मिली, ए ख सी डी ई एफ जी एच गोपाल प्रसाद बनाम बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड 189 और अन्य [इंदिरा बनर्जी, जे] किसी भी सरकारी (अर्ध-सरकारी) स्वायत्त संस्थानों में सेवा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। दिनांक 15012004 को हुई बिहार स्कूल परीक्षा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि उनकी नियुक्ति की तारीख को उनकी आयु 18 वर्ष मानते हुए उन्हें श्रेणी-4 के मामले में 60 वर्ष की आयु पूरी करने और श्रेणी-3 के मामले में 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर अधिवषता कर दी जाए।
>
> अतः श्री गोपाल प्रसाद, सहायक की आयु को उनकी नियुक्ति की तिथि अर्थात

27.05.1970 को 18 वर्ष मानते हुएउनकी सेवानिवृत्ति की तारीख को सेवा पुस्तिकाओं में 31-05-2010 दर्ज करने के निर्देश, आदेश जारी किए जाते हैं"।

13. दिनांक 14 फरवरी 2004 का आदेश, जहां तक अपीलकर्ता की सेवानिवृत्ति की तारीख को उसकी सेवा पुस्तिका में 31 मई 2010 के रूप में दर्ज करने का अभिप्राय है, बिहार सेवा संहिता के नियम 73 के विपरीत है और 15 जनवरी 2004 को लिए गए संकल्प के दायरे और दायरे से भी परे है। अपीलकर्ता की नियुक्ति के बाद नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु का कोई भी प्रिस्क्रिप्शन, अपीलकर्ता पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता था।

14. इस अपील के संबंध में दायर दलीलों से, यह स्पष्ट नहीं है कि अपीलकर्ता ने 14 फरवरी 2004 के उक्त कार्यालय आदेश पर आपत्ति जताई थी या नहीं। किसी भी मामले में, एक कार्यालय आदेश जो स्पष्ट रूप से अवैध है और प्रतिकूल नागरिक परिणाम पर जोर देता है, को इस आधार पर चुनौती देने से नहीं रोका जा सकता है कि पीड़ित कर्मचारी ने कार्यालय आदेश पर आपत्ति नहीं की हो, और इससे भी अधिक, जब इसी तरह के आदेशों की वैधता कानून के न्यायालयों में अधिनिर्णय की प्रतीक्षा कर रही थी। उच्च न्यायालय में विभिन्न रिट याचिकाएं लंबित थीं, इस सवाल पर कि क्या 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले सेवा में शामिल होने वाले व्यक्तियों को बिहार सेवा नियमों के नियम 73 में निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले एकतरफा सेवानिवृत्त किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें उनकी नियुक्ति की तारीख को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई थी। यह भी रिकॉर्ड की बात है कि इनमें से कई रिट याचिकाओं का फैसला कर्मचारियों के पक्ष में किया गया था, जिसके उदाहरण बाद में इस फैसले में दिए गए हैं।

15. यह विवाद में नहीं है कि बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड के रिकॉर्ड के अनुसार अपीलकर्ता की जन्म तिथि 19 नवंबर 1954 है। यह किसी का मामला नहीं है कि अपीलकर्ता की जन्म तिथि, जैसा कि दर्ज की गई है, जो कि 19 नवंबर 1954 है, उसकी सही जन्म तिथि नहीं है।

16. अपीलकर्ता की जन्म तिथि 19 नवंबर 1954 थी, उसे 19 नवंबर 2012 को 58 वर्ष

की आयु पूरी करनी थी। तथापि, 18 नवम्बर, 2012 से पहले सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई थी। अपीलकर्ता की जन्मतिथि 19 नवंबर 1954 थी, उसे 18 नवंबर 2014 को साठ वर्ष की आयु पूरी करनी थी।

17. जैसा कि ऊपर देखा गया है, अपीलकर्ता को बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड की सेवा में नियुक्त किए जाने से बहुत पहले, बिहार पेंशन नियमों के परिशिष्ट -5 में नियम 5 में संशोधन किया गया था। पेंशन लाभों पर विचार करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की योग्यता आयु 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई। हालांकि, सरकारी अधिकारियों ने उन कर्मचारियों को नियुक्त करना जारी रखा, जिन्होंने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की थी।

18. 16 फरवरी 2012 को या उसके आसपास, अपीलकर्ता के बेटे ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें बोर्ड द्वारा अपने पिता की सेवानिवृत्ति के लिए तय की गई सेवानिवृत्ति की तारीख के बारे में पूछताछ की गई।

19. 26 मार्च 2012 के एक पत्र द्वारा बोर्ड ने अपीलकर्ता के बेटे को सूचित किया कि 14 फरवरी 2004 के निर्णय के मद्देनजर, 27 मई, 1970 को अपीलकर्ता की आयु 18 वर्ष मानी जानी थी और इसलिए उसकी सेवानिवृत्ति 31 मई 2010 को 58 वर्ष पूरे होने पर होनी थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया गया था। इसलिए सेवानिवृत्ति की तारीख 31 मई 2012 होगी।

20. इसके बाद, अपीलकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय में 20 मार्च 2012 की रिट याचिका सीडब्ल्यूजेसी संख्या 7718 दायर की, जिसमें सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत 20 मार्च 2012 के संचार को चुनौती दी गई और 14 फरवरी 2004 के आदेश को भी चुनौती दी गई।

21. 24 अप्रैल 2012 के एक आदेश द्वारा, एकल पीठ ने पटना उच्च न्यायालय के **रगजवा नारायण मिश्रा और अन्य बनाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड और अन्य**[1] में पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया। पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने आयोजित किया था: -

[1] 2006 (1) पीएलजेआर 410

"16. जैसा कि यह हो सकता है, एक बात निश्चित है कि दोनों याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी बोर्ड के साथ अनुबंध में प्रवेश करते समय वे वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं की थी। इसके कानूनी प्रभाव और प्रभाव के अलावा, एक अनुबंध की स्थिति पर प्रभाव और अंतिम परिणाम, सेवा संबंध के संदर्भ में, एक व्यक्ति को वैध सेवा, केवल, जब वह वयस्कता की आयु प्राप्त कर चुका हो। इसलिए सरकारी सेवा में प्रवेश बिंदु पर निर्धारित न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। निकास बिंदु के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 58 वर्ष है। दूसरे शब्दों में, पेंशन लाभों के लिए किसी भी मामले में सरकारी सेवा की अवधि की कुल अवधि 40 वर्ष से अधिक नहीं होगी। इस संदर्भ में, ऊपर उल्लिखित सरकारी परिपत्र पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। जब कोई स्पष्ट नियम प्रावधान होता है जो इसके विपरीत या असंगत या असंगत होता है, तो किसी भी परिपत्र या संकल्प या आदेश का नियम प्रावधान में निहित अधिकार को कम करने के लिए कोई कानूनी और वैध प्रभाव नहीं होगा। यहां तक कि अगर याचिकाकर्ताओं द्वारा भरोसा किए गए 1998 के उक्त परिपत्र को उनके लिए फायदेमंद माना जाता है, तो भी, इसे इस समय बिहार पेंशन नियमों के साथ-साथ बिहार सेवा संहिता में शामिल मौजूदा वैधानिक प्रावधान के साथ नहीं पढ़ा जा सकता है। इसलिए, उस दृष्टिकोण से भी याचिकाकर्ताओं को यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि उन्हें 58 वर्ष की आयु से आगे भी बने रहने का अधिकार है, हालांकि बिहार सेवा संहिता के नियम 73 में प्रदान किया गया है जो 58 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु निर्धारित करता है।

17. तीसरा, यह विधि और न्यायशास्त्र के सिद्धांतों का स्थापित और स्थापित प्रस्ताव है कि कोई व्यक्ति जो सेवा में प्रवेश बिंदु पर एक या अन्य कारणों से अनुचित लाभ उठाता है, उसे यह आग्रह करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि उसे उच्च लाभ दिया जाए और यदि यह आग्रह किया जाता है तो स्पष्ट रूप से, यह दर्शाता है कि कुछ गलत या अनियमित किया गया है, प्रवेश बिंदु पर, सेवा में। अत स्थापित सिद्धांत भी इस न्यायालय से राहत प्राप्त करने में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है जो भारत के

संविधान के अनुच्छेद 226 के उपबंध का आह्वान करके असाधारण, विशेषाधिकारपूर्ण, न्यायसंगत और विवेकाधीन रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहा है।

18. इसलिए, हमारी राय में, दोनों रिट याचिकाओं में सवाल किए गए आक्षेपित आदेशों में, जाहिर है, किसी भी दृष्टिकोण से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है। इसलिए, कानून के प्रस्ताव को साक्ष्य और स्पष्ट किया जाता है कि बिहार सेवा संहिता के नियम 73 में निर्धारित सेवानिवृत्ति आयु सेवानिवृत्ति के उद्देश्य के लिए लागू होगी और किसी व्यक्ति की आयु से आगे जारी नहीं रखा जा सकता है। अत यह स्पष्ट है कि 40 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके अथवा 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके सरकारी कर्मचारी को मौजूदा नियम उपबंध के अनुसार सेवानिवृत्त होना होगा। इसलिए, हमारा उत्तर बहुत स्पष्ट है और हम तदनुसार इस संदर्भ का उत्तर देते हैं। पूर्वोक्त निर्णयों में विरोधाभासी दृष्टिकोण जिसका उल्लेख किया गया है, एक अच्छा कानून नहीं होगा"।

22. मात्र तथ्य यह है कि एक कर्मचारी अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के समय नाबालिग हो सकता है, उसकी नियुक्ति के भौतिक समय पर किसी भी कानून के अभाव में असंगत है, 15/16 वर्षीय नाबालिगों की नियुक्ति पर रोक लगाता है। अपीलकर्ता जो 15-1/2 वर्ष का था, वह नाबालिग हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से बच्चा नहीं है। यह बेतुका है कि कोई भी तर्कसंगत नियोक्ता, बहुत कम एक वैधानिक निकाय, एक बच्चा नियुक्त करेगा। एक बच्चा की नियुक्ति की परिकल्पना दूर की कौड़ी और अवास्तविक है। 15 जनवरी, 1998 के परिपत्र के मद्देनजर भविष्य में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों से नियुक्ति के दावों की आशंका भी निराधार है, जिसमें सेवानिवृत्ति की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। परिपत्र बाद की नियुक्तियों को नियंत्रित करेगा।

23. यह सच हो सकता है कि एक नाबालिग एक अनुबंध में प्रवेश करने में अक्षम है, जैसा कि मेरे सम्मानित भाई ने देखा है। एक अनुबंध एक नाबालिग के खिलाफ लागू करने योग्य नहीं हो सकता है। नाबालिग द्वारा निष्पादित अनुबंध नाबालिग के विकल्प पर

शून्यकरणीय हो सकता है। अवयस्क, वयस्क होने पर, अनुबंध को अस्वीकार या पुष्टि कर सकता है और स्वीकार कर सकता है।

24. यह किसी का मामला नहीं है कि संबंधित कर्मचारियों में से किसी ने भी वयस्क होने पर नियुक्ति के अपने अनुबंध को अस्वीकार कर दिया। एक नियोक्ता जो जानबूझकर नाबालिगों को अपनी खुली आंखों के साथ नियुक्त करता है, वह रोजगार के अनुबंध के तहत अपने दायित्वों से बच नहीं सकता है, और वह भी तब जब कर्मचारी ने वयस्क होने के बाद लगभग दो दशकों तक सेवा प्रदान की हो। यह कहा जा सकता है कि वयस्क होने पर संबंधित कर्मचारियों द्वारा संविदाओं की पुष्टि की गई है। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि जब वह 15-1/2 वर्ष का था, तब नियुक्त कर्मचारी ने कोई अनुचित लाभ प्राप्त किया, जब भौतिक समय पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु नहीं थी।

25. विद्वान एकल न्यायाधीश ने **रगजवा नारायण मिश्रा** (सुप्रा) में पूर्ण पीठ के निर्णय पर भरोसा करते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया, और डिवीजन बेंच ने विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय से अपील को खारिज कर दिया। विद्वान एकल पीठ, साथ ही विद्वान डिवीजन बेंच के पास **रगजवा नारायण मिश्रा** (सुप्रा) का अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि न्यायिक अनुशासन के लिए पूर्ण बेंच के निर्णय का पालन करने के लिए कम संख्या वाली बेंच की आवश्यकता होती है।

26. मेरे विचार में, **रगजवा नारायण मिश्रा** (सुप्रा) में बिहार सेवा संहिता के नियम 73 की पूर्ण पीठ की व्याख्या गलत और गलत है। अपीलकर्ता की ओर से पेश वकील ने सही तर्क दिया है कि ऐसा कोई नियम नहीं है जो सेवानिवृत्ति के मानदंड के रूप में सेवा की लंबाई निर्धारित करता है। न तो बिहार स्कूल कोड के नियम 73, और न ही बिहार पेंशन नियम, 1950 के नियम 57 ने सेवा की लंबाई की कोई सीमा निर्धारित की।

27. पूर्ण पीठ सेवा की लंबाई के आधार पर कार्यवाही में त्रुटि में गिर गई, जब बिहार सेवा संहिता के नियम 73 में सेवानिवृत्ति की एक विशिष्ट आयु निर्धारित की गई है। जैसा कि

अपीलकर्ता की ओर से तर्क दिया गया है, बिहार सेवा संहिता के नियम 73 में सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित की गई है। उक्त नियम सेवा की अवधि को सेवानिवृत्ति का मानदंड नहीं बनाता है।

28. पेंशन योग्य सेवा के लिए सरकारी कर्मचारी की न्यूनतम अर्हक आयु 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष करने का अर्थ है कि यदि कोई कर्मचारी 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले सेवा में प्रवेश करता है तो नियुक्ति की वास्तविक तारीख से पेंशन योग्य सेवा के लिए अर्हक आयु प्राप्त करने तक की सेवा की अवधि, पेंशन/पेंशन लाभों की गणना के प्रयोजन के लिए नहीं गिनी जाएगी।

29. **रागजवा नारायण मिश्रा** (सुप्रा) मामले में, पूर्ण पीठ इस बात की सराहना करने में विफल रही कि 1998 के परिपत्र में उन नियुक्तियों के लिए आवेदन का कोई तरीका नहीं हो सकता है जो उक्त परिपत्र जारी होने से पहले ही की जा चुकी थीं, और निश्चित रूप से उपरोक्त परिपत्र जारी करने से लगभग दो दशक पहले की गई नियुक्तियों के लिए नहीं, ऐसे समय में जब सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं थी। यह मानते हुए भी कि पेंशन संबंधी लाभों के लिए सरकारी सेवा की कुल लंबाई नियम 73 के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख और 58/60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बीच की अवधि से अधिक नहीं हो सकती है, इसका अर्थ यह होगा कि पेंशन संबंधी लाभों की गणना 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद सेवा की अवधि के आधार पर की जाएगी। किसी भी स्थिति में किसी कर्मचारी को 58 और/या 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता है, जैसा कि बिहार सेवा संहिता के नियम 73 में निर्धारित है।

30. **रागजवा नारायण मिश्रा** (सुरपा) में पूर्ण पीठ का निष्कर्ष, कि बिहार सेवा संहिता के नियम 73 में निर्धारित सेवानिवृत्ति आयु सेवानिवृत्ति के उद्देश्य के लिए लागू होगी और एक व्यक्ति को सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने के बाद जारी नहीं रखा जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में कोई सरकारी कर्मचारी बिहार सेवा संहिता के नियम 73 में निर्धारित सेवानिवृत्ति

की आयु के अनुपालन के बाद सेवा में बने रहने के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। हालांकि, चूंकि बिहार सेवा संहिता के नियम 73 के तहत सेवा की अवधि लागू नियम के तहत सेवानिवृत्ति के लिए एक मानदंड नहीं है, इसलिए एक सरकारी कर्मचारी जिसने सेवा रिकॉर्ड में दर्ज उसकी वास्तविक जन्म तिथि के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु पूरी नहीं की है, उसे 40 साल की सेवा या 40 साल से अधिक की सेवा पूरी करने के आधार पर सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता है. अधिक से अधिक, पेंशन लाभों की गणना के लिए सेवा की अवधि चालीस वर्ष मानी जाएगी।

31. पूर्ण पीठ के प्रति अत्यंत सम्मान के साथ, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि बिहार पेंशन नियमावली के परिशिष्ट-5 में नियम 5 में पेंशन लाभों पर विचार करने के लिए सरकारी कर्मचारी की योग्यता आयु निर्धारित करने और/या ऐसी आयु को 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष करने से बिहार सेवा संहिता के नियम 73 के तहत निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु में कोई फर्क नहीं पड़ता है।

32. आयुसेवानिवृत्ति लाभों के प्रयोजन के लिए सेवानिवृत्ति और अर्हक सेवा की आयु एक समान नहीं है। सेवानिवृत्ति के लिए अर्हक सेवा का अर्थ है कि सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के उद्देश्य से सेवा की लंबाई पेंशन की अर्हक सेवा की आयु प्राप्त करने से शुरू होगी।

33. इस प्रकार, यदि पेंशन के लिए अर्हक सेवा की आयु 18 वर्ष है, तो पेंशन लाभों की गणना के लिए सेवा की अवधि की गणना 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख से की जाएगी। हालांकि, यदि सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु 60 वर्ष पूरी हो गई है, तो किसी कर्मचारी को सेवा नियमों में दिए गए आधारों को छोड़कर उस आयु को प्राप्त करने से पहले सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि नियम प्रदान करते हैं, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई के माध्यम से एक कर्मचारी को समय से पहले सेवानिवृत्त किया जा सकता है।

34. जब सेवानिवृत्ति की आयु एक्सप्रेस नियमों द्वारा शासित होती है, जो सेवानिवृत्ति के

मानदंड के रूप में सेवा की लंबाई निर्धारित नहीं करते हैं, लेकिन आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति के लिए प्रदान करते हैं, तो एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता है, केवल इसलिए कि उसने एक निश्चित अवधि के लिए सेवा की है, तार्किक तर्क की एक जटिल प्रक्रिया द्वारा। मेरा न्यायिक विवेक भी मुझे अपील के तहत फैसले को बरकरार रखने की अनुमति नहीं देता है, केवल इसलिए कि उच्च न्यायालय ने कुछ समय के लिए उस न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले का पालन किया है, जिसने कुछ समय के लिए मैदान में रखा है। मेरी राय में पूर्ण पीठ का निर्णय गलत था। इस न्यायालय ने समय-समय पर संवैधानिक पीठों के फैसलों सहित अपने स्वयं के फैसलों को उलट दिया है, जिन्होंने दशकों तक इस क्षेत्र को संभाला है। एक उदाहरण का हवाला देते हुए**, अतिबारी टी कंपनी लिमिटेड बनाम असम राज्य**[2] के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ का निर्णय। जिसने लगभग आधी सदी तक इस क्षेत्र को धारण किया, को नौ न्यायाधीशों की पीठ के फैसले द्वारा खारिज कर दिया गया था और **जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड बनाम बनाम हरियाणा राज्य**[3] मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि फैसले और आदेश को रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

35. बिहार सेवा संहिता के नियम 73 की सहायता लेते हुए, जिसमें केवल सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित की गई है और क्या 40 साल की सेवा पूरी होने के बाद, किसी व्यक्ति को सेवा से सेवानिवृत्त किया जा सकता है, ऐसे किसी भी नियम की अनुपस्थिति में भी सेवा से सेवानिवृत्त किया जा सकता है, सेवा में प्रवेश के समय उनकी आयु को 18 वर्ष मानते हुए, **गणेश राम बनाम झारखंड राज्य और अन्य** में एसजे मुखोपाध्याय, जे की अध्यक्षता में झारखंड उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा विचार किया गया था। बिहार सेवा संहिता के नियम 73 के संदर्भ में 2006 (2) एफएलआर 156 में रिपोर्ट की गई रिट याचिका (एस) संख्या 2003 की डब्ल्यूपी (एस) संख्या 1210। बिहार सेवा संहिता बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसरण में सृजित झारखंड राज्य में लागू है और इसमें वे क्षेत्र शामिल हैं जो पहले बिहार राज्य में थे। कर्मचारियों के पक्ष में और झारखंड राज्य और अन्य के विरुद्ध मुद्दों का उत्तर नकारात्मक था। **गणेश राम** (सुप्रा) में फैसले की एक प्रति भी पेपर बुक में अनुलग्नक पी -5 के

[2] एआईआर 1961 एससी 232

[3] 2016 एससीसी ऑनलाइन 1260 का निर्णय 11.11.2016 को किया गया

रूप में संलग्न है।

36. **गणेश राम** (सुप्रा) मामले में न्यायालय ने पाया और ठीक ही कहा था कि बिहार राज्य द्वारा राज्य की सेवा में नियुक्ति के लिए या झारखंड राज्य में 18 वर्ष की कोई सामान्य न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई थी। न्यूनतम पात्रता आयु नौकरी से नौकरी में भिन्न होती है। न्यायालय ने अवलोकन किया और कहा: -

"7..... अधिनियम की धारा 2 (i) के तहत निर्धारित 'कर्मचारी' की परिभाषा का अर्थ है कोई भी व्यक्ति, जो किराए या इनाम के लिए नियोजित है या कोई काम करने के लिए कुशल या अकुशल आदि है और इसमें उपयुक्त सरकार यानी राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा नियोजित कर्मचारी भी शामिल है। धारा 2 के खंड (ए) में "किशोर" को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है एक व्यक्ति, जिसने अपनी चौदहवीं वर्ष की आयु पूरी कर ली है,लेकिन "वयस्क" को धारा 2 के खंड (एए) के तहत परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है एक व्यक्ति, जिसने अपनी अठारहवीं वर्ष की आयु पूरी कर ली है और धारा 2 के खंड (बीबी) के तहत परिभाषित "बच्चे" का अर्थ है एक व्यक्ति, जिसने अपनी चौदहवीं वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 3 में समुचित सरकार द्वारा मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित करने की रीति निर्धारित की गई है, उपधारा (3) के अंतर्गत समुचित सरकार को वयस्कों, किशोरों, बच्चों और शिक्षुओं के लिए मजदूरी की विभिन्न न्यूनतम दरें निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है। इससे पता चलता है कि सरकारी नौकरी में भी एक "किशोर", हालांकि नाबालिग है, नियुक्त किया जा सकता है जिसके लिए अलग-अलग मजदूरी तय की जा सकती है।

उच्च न्यायालय ने आगे कहा: -

"8. बिहार राज्य ने पुलिस आदेश संख्या 209-82 जारी किया है, जिसे मेमो नंबर 6568/पी 2/43-271-88, दिनांक 11 अगस्त, 1988 द्वारा परिचालित किया गया है। यह पुलिस आदेश बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 84 के मद्देनजर झारखंड

राज्य में भी लागू है। इस आदेश के अनुसार, पुलिस बल की स्वीकृत नफरी में से प्रत्येक भिन्न में दो पद आरक्षित किए जा सकते हैं जिनमें 18 वर्ष से कम आयु के पुलिस बल के आश्रित बच्चों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है, यदि ड्यूटी के दौरान पुलिस कामकों की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार नियुक्त किए गए बच्चों को सामान्यत बाल-आरक्षी के रूप में जाना जाता है और जब तक वे वयस्क नहीं हो जाते तब तक उन्हें पद के वेतनमान में से न्यूनतम वेतन वृद्धि का भुगतान किया जाता है। बालिग होने पर ही यदि बाल आरक्षी ऐसा चाहते हैं और अर्हता प्राप्त करते हैं तो उन्हें ऐसे पदों पर कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया जाता है। नियुक्ति पर बच्चों को दो हाफ पैंट, दो शर्ट, दो सेट मोजे, एक जोड़ी जूते आदि प्रदान किए जाते हैं। इससे पता चलता है कि राज्य की सेवाओं में नाबालिग की नियुक्ति पर कोई रोक नहीं है।

37. बेशक, जैसा कि बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अधिनियमन और प्रवर्तन के बाद गणेश राम (सुप्रा) के फैसले में उल्लेख किया गया है, एक बच्चे का रोजगार जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, कुछ प्रकार के काम के लिए निषिद्ध है। हालांकि, उक्त बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 इस मामले में लागू नहीं होता है, क्योंकि याचिकाकर्ता को उक्त अधिनियम के अधिनियमन और प्रवर्तन से बहुत पहले नियुक्त किया गया था और किसी भी मामले में नियुक्ति के समय उसकी आयु 14 वर्ष से अधिक थी।

38. बिहार सेवा संहिता के नियम 73 में निर्धारित सेवानिवृत्ति की वास्तविक आयु पूरी होने से पहले किसी कर्मचारी को डीम्ड आयु के आधार पर सेवानिवृत्त किया जा सकता है या नहीं, इस मुद्दे का उत्तर एक नियोक्ता के खिलाफ और **गणेश राम** (सुप्रा) में निर्दिष्ट निम्नलिखित मामलों में कर्मचारी के पक्ष में नकारात्मक में दिया गया था: -

1. **मोख्तार अहमद बनाम बी.एस.आर.टी.सी. और अन्य** (1995 (1) पीएलजेआर 183 (डीबी)

2. **मंटू बनाम सीसीएल** (2001 (1) जेसीआर 181)

3. **कलानंद झा बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य** (2001 (3) जेसीआर 228)

4. **बाल्केश्वर बनाम सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड** (2002 (1) जेसीआर 175

5. **प्रणधर प्रसाद बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य** (मनु/जेएच/1137/2002

39. मेरा विचार है कि **गणेश राम** (सुप्रा) मामले में झारखंड उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा कानून की सही व्याख्या की गई है। एक व्यक्ति को केवल सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त किया जा सकता है जब तक कि नियम स्पष्ट रूप से सेवा की लंबाई को सेवानिवृत्ति का मानदंड नहीं बनाते हैं, जैसा कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों के मामले में, विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 की धारा 79 (सी) के तहत जारी 9 सितंबर 1997 की अधिसूचना द्वारा शासित है, जिसके तहत निर्धारित सेवानिवृत्ति की तारीख 60 वर्ष की आयु पूरी करना या 42 वर्ष की सेवा पूरी करना, जो भी पहले हो, थी।

40. नागालैंड वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी कल्याण संघ और अन्य (सुप्रा) में मेरे सम्मानित भाई द्वारा संदर्भित निर्णय मेरे विचार में स्पष्ट रूप से अलग है। प्र.39. पूर्वोक्त मामले में लागू नियमों ने स्पष्ट रूप से निर्धारित सेवा की अवधि, सेवानिवृत्ति के लिए एक मानदंड पूरा किया।

41. इस न्यायालय ने लोक रोजगार अधिनियम, 1991 से नागालैंड सेवानिवृत्ति की धारा 3 की वैधता को बरकरार रखा, जिसमें प्रावधान किया गया था: -

> "*धारा-3. सार्वजनिक रोजगार से सेवानिवृत्ति: (1) तत्समय प्रवृत्त किसी नियम या आदेशों में किसी बात के होते हुए भी, लोक नियोजन में कोई व्यक्ति तैंतीस वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा या जब तक वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले हो:*
>
> *परन्तु विशेष परिस्थितियों में, लोक नियोजन के अधीन किसी व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा अधिकतम एक वर्ष तक सेवा विस्तार दिया जा सकेगा; बशर्ते कि सरकार*

सार्वजनिक रोजगार के तहत सभी व्यक्तियों के मामलों की समय-समय पर जांच कर सकती है ताकि पचास वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सार्वजनिक रोजगार में बने रहने के लिए उनकी उपयुक्तता निर्धारित की जा सके।

(2) लोक नियोजन के अधीन सभी व्यक्ति उस मास के अंतिम दिन की अपराह्न को जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करता है या लोक नियोजन के तैंतीस वर्ष पूरे होने पर, इनमें से जो भी पहले हो, सेवानिवृत्त होंगे"।

42. नागालैंड लोक नियोजन से सेवानिवृत्ति (संशोधन) अधिनियम, 2007 (प्रथम संशोधन अधिनियम, 2007) द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु 57 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई थी। नागालैंड लोक नियोजन सेवानिवृत्ति (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2009 (दूसरा संशोधन अधिनियम, 2009) द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवा की लंबाई 33 वर्ष के बजाय 35 वर्ष कर दी गई थी।

इस न्यायालय ने कहा -

"इस तरह का एक प्रावधान जो नागालैंड राज्य में सार्वजनिक रोजगार से व्यक्तियों को शामिल होने की तारीख से 35 वर्ष की सेवा पूरी करने पर या 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, सेवानिवृत्त करने का प्रावधान करता है, मनमानेपन या तर्कहीनता के दोष से ग्रस्त नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं है। अपील में कोई दम नहीं है और लागत के रूप में कोई आदेश के साथ खारिज कर दिया गया है"।

43. जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस मामले में बिहार सेवा संहिता के नियम 73 में सेवानिवृत्ति के लिए मानदंड के रूप में सेवा की कोई लंबाई निर्धारित नहीं की गई है। अपीलकर्ता जिस श्रेणी से संबंधित था, उसके कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु 58 वर्ष थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया गया। प्रतिवादियों द्वारा अपीलकर्ता को उसकी वास्तविक जन्म तिथि के अनुसार 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले सेवानिवृत्त करने का निर्णय, जैसा

कि सेवा रिकॉर्ड में दर्ज है, को कायम नहीं रखा जा सकता है।

44. मेरा विचार है कि अपील की अनुमति दी जानी चाहिए और डिवीजन बेंच और एकल बेंच के निर्णय और आदेश को अलग रखा जाना चाहिए। अपीलकर्ता एक घोषणा का हकदार है कि अपीलकर्ता 18 नवंबर 2014 तक सेवा में जारी रखने का हकदार होने के नाते, जो उसने 60 वर्ष की आयु पूरी की, उसके सेवा रिकॉर्ड के अनुसार, और वेतन की बकाया, यदि कोई हो, पेंशन लाभ आदि सहित सभी परिणामी लाभों के हकदार होंगे।

45. चूंकि हम सहमत नहीं हुए हैं, इसलिए इस मामले को एक बड़ी पीठ को सौंपने के लिए भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए।

देविकागुजराल मामला बड़ी पीठ को भेजा गया

यह अनुवाद तलत परवीन, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया।